प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–26.06.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा–"हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम एवं "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" योजनाओं की समीक्षा की गई।

"हर खेत तक सिंचाई का पानी":–

1. विगत प्रत्येक सप्ताह किये जा रहे समीक्षा बैठक में लगातार निदेशित किया जा रहा है कि 15 अगस्त, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य (लगभग 3500 से अधिक योजना) के अनुसार योजनाओं का डी0पी0आर0 अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा किये गये विभागीय समीक्षा के क्रम में निदेश प्राप्त हुआ है कि मॉनसून प्रारंभ होने के पूर्व सभी चिन्हित योजनाओं का Pre Level पूर्ण करना अति आवश्यक है। क्योंकि Pre Level न होने की स्थिति में योजनाओं का DPR तैयार करने के कार्य बाधित हो सकता है।

3. सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर योजनाओं का Pre Level पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें एवं योजनाओं का डी0पी0आर0 बनाने में तेजी लायें। साथ ही अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण को Pre Level कार्य की समीक्षा हेतु Format को Update करने हेतु निदेश दिया गया।

4. मानसून प्रारंभ होने के पूर्व योजनाओं का Pre Level पूर्ण करने एवं योजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने में तेजी लाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने जिले के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, बिहार को पंचायती राज विभाग/मनरेगा से तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता को अधिकाधिक संख्या में उपलब्ध करायें।

5. सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलंब समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य हेतु तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता की अधिकाधिक संख्या में मांग हेतु अधियाचना देकर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त करावें एवं निर्धारित 15 दिनों के अंदर Pre Level पूर्ण कर डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लायें।

6. कुछ जिले ऐसे पाये गये जिनका निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध डी0पी0आर0 निर्माण की गति काफी धीमी है, जिनमें गया (570 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 77), बांका (493 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 68), जमुई (445 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 73), औरंगाबाद (333 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 67), भागलपुर (176 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 27), पटना (105 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 28), लखीसराय (100 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 11), मधुबनी (76 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 14) एवं नवादा (143 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 17)। सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में सख्त निदेश दिया गया कि अविलंब इस कार्य में तेजी लाकर विभाग को अवगत करायें।

7. पिछले सप्ताह से अबतक शून्य प्रगति व मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जिला पदाधिकारी को तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निदेश के आलोक में तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता उपलब्धता हेतु जिला पदाधिकारी को मना करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा का इस माह का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण की माँग का निदेश संयुक्त सचिव को दिया गया।

8. उपस्थित सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन भी योजनाओं को ड्रॉप करना हो उसका विस्तृत प्रतिवेदन पूर्ण तथ्यों के साथ संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विकल्प के रूप में जिन योजनाओं को लिया जा सकता है, उसका प्राक्कलन बनाकर विभाग को उपलब्ध करायें ताकि निर्धारित सिंचित योग्य भूमि को सिंचित किया जा सके।

9. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि योजनाओं को ड्रॉप करने से संबंधित विभाग को उपलब्ध प्रतिवेदन में सुस्पष्ट कारण नहीं दर्शाया जाता है। इस संबंध में सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि सुस्पष्ट विस्तृत प्रतिवेदन (पूर्ण तथ्यों के साथ) दर्शाया जाय, जिससे ड्रॉप करने का स्पष्ट कारणों का पता चल सके।

10. सभी अभियंताओं को सुस्पष्ट निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के "हर खेत तक सिंचाई का पानी" हेतु मूल चिन्हित (सर्वेक्षित) योजनाओं का ही कार्य करना है। यदि इस योजना के अंतर्गत किसी अन्य विभाग से योजनाएं मिलती है, तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत करना है। इसी से संबंधित योजनाओं का सर्वेक्षण कर अविलंब Pre Level पूर्ण कर डी0पी0आर0 निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लायें।

11. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की जिन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, उसकी निविदा की प्रक्रिया के साथ ही एकरारनामा कर अविलंब कार्य प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया।

"मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना":–

12. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विगत सप्ताह किये गये बैठक में यह निदेश दिया गया कि "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन माह दिसंबर, 2024 तक करना है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अंचलवार शिविर लगाकर भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र सभी आवेदकों हेतु अविलंब निर्गत कराया जाय।

13. उक्त के अनुपालन में प्रत्येक जिले (जहां शिविर लगाना है) में शिविर लगाया जा चुका है। महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक जिले प्रतिदिन शिविर आयोजन का प्रोग्रेस रिपोर्ट से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

14. कुछ जिले यथा–कैमूर, दरभंगा, पं0 चम्पारण, में "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत प्राप्त आवेदन का सर्वेक्षण कुछ संख्या में छूटे हुए पाये गये। संबंधित सभी जिले के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलंब सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को अवगत करायें।

15. सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिसका सर्वेक्षण Online या Offline होना है, उसे अविलंब पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं का सर्वेक्षण किसी तकनीकी समस्या से नहीं किया जा सकता, उसका विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16. सर्वेक्षण के क्रम में जिन योजनाओं के किसी तकनीकी कारणों से न होने के स्थिति में पोर्टल पर No की जा चुकी है, यदि शिविर लगने के उपरांत इसकी समस्या हल हो जाती है, तो उसे Yes करने हेतु पोर्टल में आवश्यक सुधार करने के लिए निदेशित किया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

संतोष 2/7/24

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 837 (मो0) /पटना, दिनांक:– 02.7.2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

संतोष 2/7/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 838 (मो०) /पटना, दिनांकः–03.7.2024

प्रतिलिपिः—सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/24

(राजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 838 (मो०) /पटना, दिनांकः–03.7.2024

प्रतिलिपिः—मुख्य अभियन्ता, (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) योजना एवं स्थापना/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) रूपांकण, अन्वेषण, गुण नियंत्रण/ अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) उड़नदस्ता/अधीक्षण अभियन्ता, (प्रभारी) नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/07/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 838 (मो०) /पटना, दिनांकः–03.7.2024

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/07/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 838 (मो०) /पटना, दिनांकः–03.7.2024

प्रतिलिपिः—सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/07/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 838 (मो०) /पटना, दिनांकः–03.7.2024

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03/07/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।